तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व अहकाम हुक्म क में जा
9/12/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अशुद्ध दर्ज होना कथन करते हुए शुद्ध करने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार विवादित कृषि भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम विरासतन नामान्तरकरण के जरिए दर्ज हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कुर्सीनामा व उसकी जाँच के आधार पर दर्ज किया जाता है व सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए तस्दीक किया जाता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि अशुद्धि कब व किस स्टेज पर हुई? प्रार्थी के पिता का नाम वर्तमान जमाबन्दी में विहित प्रक्रिया के अधीन दर्ज हुआ है जिसमें धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं तथा भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी चाहे गये अनुतोष के लिए अन्य कानूनी विकल्पों के प्रयोग हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	